

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2023

विषय:-स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अलीगढ़ शहर हेतु धनराशि ₹0 49.00 करोड़ अवमुक्त करने के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, स्मार्ट सिटी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रों संख्या-K-15016/154(2)/2015-SC-I, दिनांक 30.06.2023 एवं संख्या-K-15016/154(2)/2015-SC-I, दिनांक 30.06.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अलीगढ़ शहर हेतु केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश कुल धनराशि ₹0 49.00 करोड़ (₹0 उनचास करोड़ मात्र) निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(धनराशि ₹0 करोड़ में)

क्र०	स्मार्ट सिटी का नाम	केन्द्रांश		मैचिंग राज्यांश		योग
		प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	
1	अलीगढ़	23.25	01.25	23.25	01.25	49.00

(₹0 उनचास करोड़ मात्र)

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे स्मार्ट सिटी, अलीगढ़ के एस0एन0ए0 एकाउन्ट में अन्तरित की जाएगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रश्नगत धनराशि स्मार्ट सिटी, अलीगढ़ द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (4) उपरोक्त स्मार्ट सिटी के लिए अवमुक्त केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि का उपभोग के समय भारत सरकार की गाइड-लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 24,50,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510111 अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2) रुपये 24,50,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050518911 अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-110-X-2023-24, दिनांक- 18 जुलाई, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by मोहम्मद वासिफ  
Date: 19-07-2023 14:34:10  
मो0 वासिफ,  
Reason: Approved  
अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 09 /2023/भा0स0-84/नौ-9-2023-005-E-1662732, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, अलीगढ़।
- 10- एस0पी0वी0, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
- 11- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

## Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▾

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 005-E-1662732

स्वीकृति तिथि: 17/07/2023

यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-005-E-1662732

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2217050510111 - अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)

आयोजनेत्तर-मतदेय  
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	9,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00
योग :	9,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 005-E-1662732

स्वीकृति तिथि: 17/07/2023

यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-005-E-1662732

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2217050518911 - अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु

आयोजनेत्तर-मतदेय  
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	9,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00
योग :	9,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव